

निर्देश व हालवाल अणवर सिंह मेहरा आईएलएल, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 16/2020 (सुनवाईयित प्रार्थना पत्र)

1. शंकर लाल स्वामी पुत्र स्व. श्री चौधमल
2. महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र स्व. श्री चौधमल

समस्त जाति स्वामी निवासी नई भाता के सामने, मुकुन्दबाग की बगिची, राधा कुम्भ, दिल्ली
बर्डीवाल रोड, करवा आमेर जिला जयपुर।

प्राथी

बनाम

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर जयपुर ।
2. श्रीमती शान्ती देवी बेवा स्व. श्री गोपाल
3. रमेश चन्द पुत्र स्व. श्री गोपाल
समस्त निवासी आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर ।
4. मोहनी बेवा रामनाराण निवासी प्लॉट नम्बर 55, लक्ष्मीनाराणपुरी, गलता रोड, जयपुर ।
5. संतोष देवी पत्नी तुलसीराम
6. ब्रजेश पुत्र तुलसीराम
7. मोहन पुत्र तुलसीराम
समस्त जाति स्वामी निवासी बी-55, लक्ष्मीनाराणपुरी, गलता रोड, जयपुर ।
8. अन्जना पुत्री तुलसीराम पत्नी मोहन लाल जाति स्वामी निवासी बास बदनपुरा,
जयपुर तहसील जयपुर ।
9. रामकिशन पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल
10. पम्पू पुत्र बबला पुत्र रामकिशन
जाति स्वामी निवासी आमेर हालवासी-बी 55, लक्ष्मीनाराणपुरी, गलता, जयपुर ।
11. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम जाति स्वामी निवासी डाबिच गोपालपुरा,
तहसील फागी, जिला जयपुर ।
12. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम बिहारी गुप्ता जाति महाजन निवासी 36,
गोविन्द नगर पश्चिम, आमेर रोड, तहसील व जिला जयपुर ।
13. निखिल अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र अग्रवाल जाति अग्रवाल महाजन निवासी बी-83
सेठी कालोनी, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।
14. समन्दर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ए-50 कल्याण
कालोनी, टॉक फाटक, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
15. रामप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री श्याम बिहारी गुप्ता जाति महाजन निवासी 36, गोविन्द
नगर पश्चिम, पंकज मार्ग, आमेर रोड, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
16. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी श्री समन्दर सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ए -50
कल्याण कालोनी, टॉक फाटक, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
17. कुमारी नेहा अग्रवाल पुत्री श्री राजेन्द्र अग्रवाल निवासी बी-83 सेठी कालोनी,
जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।



जिला कलक्टर
जयपुर

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर ।
19. श्रीमती गन्नी देवी पत्नी स्व. श्री चौथमल जाति स्वामी निवासी नई माता के सामने मुकुन्दवाग की ढाणी, राधाकुण्ड दिल्ली बाईपास रोड, करवा आमेर जिला जयपुर ।
20. श्रवण पुत्र स्व. श्री जोहरी लाल
21. पप्पू पुत्र स्व. श्री जोहरी लाल
समस्त जाति स्वामी निवासी नई माता के सामने मुकुन्दवाग की ढाणी, राध कुण्ड दिल्ली बाईपास रोड, करवा आमेर, जिला जयपुर ।
22. श्रीमती कोशलया देवी पुत्री स्व. श्री जोहरी लाल धर्मपत्नी श्री गोपाल जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर
23. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. श्री जोहरी लाल पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति स्वामी निवासी गन्नीपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
24. श्रीमती पप्पी देवी पुत्री स्व. श्री जोहरी लाल पत्नी श्री प्रहलाद नारायण जाति स्वामी निवासी गन्नीपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
समस्त जाति स्वामी, निवासी राधाकुण्ड, करवा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण



मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बावत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 143/2013 व उनवानी जोहरी लाल व अन्य बनाम शान्ती व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बावत ।

उपरिथत:-

1. श्री मनीष पारीक अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राटौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 13 व 17 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 03.09.2020

जिला कलेक्टर
जयपुर

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 143/2013 व उनवानी जोहरी लाल व अन्य बनाम शान्ती व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर फास्ट ट्रैक के समक्ष विचाराधीन वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में निर्णय हम अपने पक्ष में करवा कर रहेंगे और तुम्हारे द्वारा हमारे विरुद्ध जारी किया गया स्टैट एवं तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज करवा कर रहेंगे तथा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के यहां कार्यरत रीडर को हमने अपने पक्ष में कर लिया है और अब तुम वहां जीत कर बताओ।

हम देखते हैं, तुम कैसे प्रकरण में जीतोगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से स्पष्ट प्रकट हो रहा है। क्योंकि दिनांक 12.02.2020 को वकीलों की हडताल के दौरान न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष दिनांक 12.02.2020 को विचाराधीन समस्त मुकदमों में जनरल तारीख पेशी दिनांक 25.02.2020 नियत की गई, लेकिन वादीगण प्रार्थीगण के मुकदमों में अप्रार्थीगण जो की धनाढ्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति हैं, से मिलीभगत कर चुपचाप तारीख पेशी अलग से काज लिस्ट में दिनांक 17.02.2020 नियत कर दी जिससे भी साफ स्पष्ट है कि न्यायालय में दिनांक 12.02.2020 को काज लिस्ट में वादीगण प्रार्थीगण के मुकदमों के अलावा अन्य 25 मुकदमों में तो एक ही तारीख पेशी अर्थात् जनरल तारीख दिनांक 25.02.2020 नियत की गई, लेकिन वादीगण प्रार्थी के मुकदमों में चुपचाप तारीख पेशी दिनांक 17.02.2020 अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर दी गयी। जिससे साफ स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर एवं न्यायालय में कार्यरत रीडर अविनाश शर्मा अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धी के लिए एक गरीब काशतकार को न्याय से वंचित करने पर उतारू हो रहे हैं, जिन्हें रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि उक्त परिस्थितियों से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 22 व 25 से साझा कर मुकदमों में कार्यवाही की जा रही है और अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए उन्हें लाभांश पहुंचाने की नियत से उपरोक्त समस्त कार्यवाही की गई है। जैसा कि मुकदमों की पत्रावली एवं आर्डरशीट से स्पष्ट है और अन्तिम निर्णय भी उनके अनुसार ही करने पर उतारू हो रहे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष वादीगण प्रार्थी चौथमल मृतक जरिये वारीसान श्रीमती मन्नी देवी वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 2/2013 उनवानी चौथमल वनाम तीजा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2017 उनवानी चौथमल मृतक दौराने दावा जरिये वारीसान श्रीमती मन्नी देवी व अन्य वनाम मु. तीजा वगैरह तथा एक साथ ही दावा संख्या 143/2013 जौहरी लाल व अन्य वनाम शान्ती व अन्य के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से अधीनस्थ न्यायालय की मंशा स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है, कि यह स्वयं न्याय की कुर्सी पर बैठ कर निष्पक्ष न्याय नहीं करना चाहते हैं। अपने आप स्वयंभू बन कर प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के अनुसार उनको लाभांश पहुंचाने की गरज से अपने व्यक्तिगत हित सिद्ध करने पर उतारू है, उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं है की एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभांश पहुंचाने से कितने व्यक्तियों का अहित हो रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी शंकर लाल व अन्य द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानूनन आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।


2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 13 व 17 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड़ ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।



जिला कलक्टर
जयपुर

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. यद्यपि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर की पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नहीं होगी। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 143/2013 व उनवानी जोहरी लाल व अन्य बनाम शान्ती व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है।
6. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.09.2020 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्त कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।




 3/9/2020
 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला कलक्टर
 जयपुर